

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION(ii)

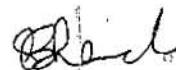
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

New Delhi, the 1.2.1999

NOTIFICATION

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies 7 years 9.5% NHB-Swarna Jayanti Rural Housing Finance Tax Free Bonds 1998-99 of Rs. 1,00,000/- each for an amount of Rs. 100 crore (Rupees one hundred crores only) bearing distinctive numbers from B/00001 to B/10000 issued by National Housing Bank for the purpose of the said item:

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and tie holding with the said Bank.



(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10778

(F.No. 178/73/98-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के असाधारण राजस्व के भाग 11 खण्ड 3 उपखण्ड 111 में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1.2.1999

अधिसूचना

साठ साठ [अ] आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10 के खण्ड 15 के उपखण्ड 111/1 की मद [न] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त मद के प्रयोजनार्थ नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए गए बी/00001 से बी 10000 तक विशिष्ट संख्याओं वाले 100 करोड़ रुपए [सौ करोड़ रुपए केवल] की राशि के प्रत्येक 1,00,000/- रुपए के 7 वर्षीय 9.5% एन एच बी - स्वर्ण लॉन्गि हरल हाउसिंग फाइनैन्स टैक्स फ्री बांडों [को] विनिर्दिष्ट करती है ।

व्यति कि उपर्युक्त मद के अन्तर्गत लाभ तब प्राप्त होंगे यदि ऐसे बांडों का धारक अपना नाम और सम्बन्धित उपर्युक्त बैंक में दर्ज करवाता है ।

समर मंड
[समर मंड]

ज्वर सचिव, भारत सरकार
[फा0नं0 178/73/98-आईटीए-1]

अधिसूचना सं0 107>8
सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
[राजौरी गार्डन के पास] नई दिल्ली ।